कार्यालय कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर म0प्र0
E-Mail- eehiranwrd09@yahoo.in(Ph.No. 0761- 2602441)

पत्र क्र. 1081 / हिरना / कार्य / 2019 जबलपुर दिनांक 26/4/19

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.)

विषयः– हिरन मध्यम परियोजना निर्माण हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपन हेतु ग्राम तौरी में हस्तांरित भूमि विषयक।

संदर्भः–:– 1– कलेक्टर द्वारा पत्र क्र. 3655 / वनभूमि / हिरन / 2018 दिनांक 01.12.2018
2–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र. एफ 3 / 79 / 2016 / 10–11 / 9 / 926 दिनांक 01.04.2019

———00———

इस कार्यालय के पत्र क्र. 1075 दिनांक 26.04.2019 विषयांतर्गत कृपया अवगत हो कि ग्राम तौरी विकास खण्ड कुंडम के खसरा क्र. 1 के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 79.54 हे. भूमि है, जबकि आपसे प्राप्त ओवजरवेशन अनुसार इस खसरे का रकबा 82.343 हे. दर्शाया गया है।

उपरोक्त वास्तविक रकबा 79.54 हे. में से वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कम्पार्टमेंट न. 296 का क्षेत्रफल 6.65 हे. भी सम्मलित है। आवंटित भूमि में से 6.65 हे. हटाने के पश्चात् भी 72.89 हे. भूमि शेष रह जाती है। (79.54–6.65 =72.89 हे.)

इस शेष बचे रकबे में 72.89 हे. रकबे में यदि कोई अतिक्रमण है भी तो कलेक्टर जबलपुर की वचनबद्धता अनुसार उक्त भूमि को स्टेज 2 स्वीकृति के पूर्व अतिक्रमणमुक्त करा लिया जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

सहपत्रः–शून्य।

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर

पृ0 कमांक 1081/A / हिरन / कार्य / 2019 जबलपुर दिनांक 26/4/19

प्रतिलिपिः–

1.– वन मंडलाधिकारी सामन्य वन मंडल जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2.– अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र. 3 कुंडम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर

B.S.Vaidya 57